मैं किसी का छोड़ता नहीं हूँ, ब्याज सहित चुकाता हूँ- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में ''लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ'' अभियान में जनसमूह को संबोधित किया

जोधपुर, 3 नवम्बर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जोधपुर के गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी का ''लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ'' अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गांधी मैदान पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, महिला शक्ति, जनप्रतिनिधि और विभिन्न समाजों के लोग शामिल हुए।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने, ईवीएम पर सवाल उठाने और परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम सही होती है, लेकिन चुनाव हारने पर ईवीएम को खराब बताने लगती है। लोकतंत्र में विरोध और सवाल पूछने का अधिकार सभी को है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को बिना प्रमाण बदनाम करना लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं है।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हाल में हुई कांग्रेस की रैली में डोटासरा भाषण दे रहे थे, पर अशोक गहलोत को मंच पर भी जगह नहीं मिली। यह तो गहलोत के कर्मों का फल है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जोधपुर में ''लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ'' पदयात्रा में शामिल हुए।

अपने भाषण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी सीधा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी का उनसे बहुत अच्छा प्रेम है, लेकिन कांग्रेस में उनकी चलती कहां है। उन्होंने कहा कि ''मैं किसी का छोड़ता नहीं हूं, ब्याज सहित चुकाता हूं।'' मुख्यमंत्री ने गहलोत पर किसानों के मुद्दे, खाद-बीज की दुकानों और जमीनों के आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय किसानों के हितों की अनदेखी हुई और परिवार तथा रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय, होटल तक सीमित रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने उपमुख्यमंत्री के लिए क्या-क्या नहीं बोला। उन्होंने कांग्रेस में कुर्सी के लिए संघर्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि हाल ही में हुई कांग्रेस की रैली में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भाषण दे रहे थे, पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंच पर भी जगह नहीं मिली। यह गहलोत के कर्मों का फल है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, सूरसागर विधायक देवेन्द्र जोशी, ओसियां विधायक भैराराम सियोल, बिलाड़ा विधायक अर्जुनलाल गर्ग, महापौर प्रसन्नचंद मेहता, पूर्व राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत, पूर्व सांसद रामनारायण डूडी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पालीवाल, त्रिभुवन सिंह सहित, पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से अपहृत जहाज छुड़ाया

नई दिल्ली, 03 नवंबर। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट के पास 48 घंटे से अधिक समय तक चले ऑपरेशन में कमांडो कार्रवाई करके सशस्त्र समुद्री लुटेरों के कब्जे से मछली पकड़ने वाले अपहृत जहाज ''अजिनी'' को मुक्त कराया है। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 20 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया और ऑपरेशन के दौरान किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

- नौसेना की कमांडो कार्यवाही से जहाज चालक दल के सभी 20 सदस्य मुक्त कराये गये

दरअसल, पिछले महीने की शुरुआत में सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास सशस्त्र समुद्री लुटेरों के एक समूह ने नौसेना के मछली पकड़ने वाले जहाज अजिनी का अपहरण कर लिया था। यह हाईजैकिंग बड़ा समुद्री सुरक्षा खतरा था, जिसमें इस बात की संभावना थी कि इस जहाज का इस्तेमाल इस इलाके में मर्चेंट शिपिंग पर और समुद्री डाकुओं के हमले करने के लिए 'मदर शिप' के तौर पर किया जा सकता है। इसकी सूचना मिलने पर भारतीय नौसेना ने मिशन पर तैनात एक युद्धपोत को कार्रवाई के लिए तत्काल रवाना किया। इसमें एक समुद्री निगरानी विमान का भी सहयोग लिया गया।

2027 में सात राज्य तय करेंगे, 2029 में मोदी का भविष्य क्या होगा?

वर्ष 2027 में सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें 940 विधानसभा सीटें और 132 लोकसभा सीटें हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 नवम्बर। उन्तीस अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनावों में भाजपा वाराणसी की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी (सपा) से हार गई। यह हार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में हुई, जहां नौ मंत्रियों और सात विधायकों ने चुनाव प्रचार किया था। महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने 3,271 वोटों से ग्रैजुएट्स (स्नातक) कोर्ट की सीट बरकरार रखी।

फिर भी, इसे भाजपा की पूरी तरह हार नहीं कहा जा सकता। चार राज्यों में शिक्षकों और स्नातकों की 28 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर 13 सीटें जीतीं, जबकि एनडीए को कुल 16 सीटें मिलीं। पिछली बार एनडीए ने 18 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को केवल एक सीट मिली, जो नागपुर में थी। कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सरकार है, पार्टी चारों सीटें हार गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा। चुनाव नतीजों से न तो भाजपा के खिलाफ किसी लहर का संकेत मिला और न ही विपक्ष की वापसी दिखाई दी। इसके बजाय, इन नतीजों ने एक बहुत बड़ी चुनावी परीक्षा से पहले राजनीतिक दलों की कमज़ोरियों को उजागर कर दिया।

- 2027 में फरवरी-मार्च में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होंगे। साल के अंत में गुजरात व हिमाचल में चुनाव होंगे। इनमें 7 में से 5 राज्यों में भाजपा की सरकार है।

2027 में सात राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें कुल 940 विधानसभा क्षेत्र और 132 लोकसभा सीटें हैं। पहले फरवरी- मार्च में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने की उम्मीद है। इसके बाद साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। इन सात राज्यों में से पांच में भाजपा की सरकार है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार है।

इन 940 विधानसभा सीटों में से अकेले भाजपा के पास 557 सीटें हैं। उसके सहयोगी दलों के पास 47 और सीटें हैं, जबकि 12 निर्दलीय विधायक भी इस गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं।

इस तरह एनडीए के पास कुल 616 सीटें हैं, यानी हर तीन में से लगभग दो सीटें। कांग्रेस के पास 98 सीटें हैं। जुलाई 2025 में इंडिया गठबंधन से अलग हुई आम आदमी पार्टी (आप) के पास 101 सीटें हैं, जिनमें से लगभग सभी पंजाब में हैं।

ओमान के तट पर भारतीय जहाज पर हमला, एक नाविक की मौत

जहाज पर 14 भारतीय नाविक थे, ओमान के तटरक्षकों ने 13 को सुरक्षित बचाया

ओमान, 03 नवंबर। होर्मुज़ में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। ओमान के समुद्री क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले एक जहाज पर हमला हुआ है, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है। यह नाविक गुजरात का रहने वाला है। यह घटना 2 नवंबर को हुई थी। जब यह जहाज ओमान तट से गुजर रहा था, तभी किसी अज्ञात हवाई चीज से इस पर हमला हुआ, जो सीधी जहाज से टकरायी। जानकारी के मुताबिक, जहाज में कुल 14 भारतीय नाविक सवार थे। हमले के बाद ओमान के तटरक्षक बल ने कार्रवाई करते हुए बाकी 13 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया।

केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमले का शिकार हुए जहाज का नाम 'अल जुसुफी' था। ये मोटर चालित नौका ओमान के समुद्री क्षेत्र में चल रही थी। हमले के दौरान गुजरात के रहने वाले नाविक गंधर नाहीम अजीज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हीं चोटों की वजह से बाद में उनकी मौत हो गई। मंत्री सोनोवाल ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतक नाविक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। विदेश मंत्रालय और ओमान स्थित भारतीय दूतावास वहां के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। हादसे में सुरक्षित बचाए गए सभी 13 भारतीय नाविकों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही मृतक नाविक के पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

- ''अलजुसुफी'' नामक जहाज जब ओमान तट से गुजर रहा था, तब एक अज्ञात हवाई वस्तु सीधे जहाज से टकराई।

'डीजीपी की नियुक्ति पर राज्यों में क्या नियम कायदे हैं'

नई दिल्ली, 03 नवंबर। डीजीपी की नियुक्तियों की जांच का दायरा बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से हर राज्य में पुलिस प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए अपनाई गई मौजूदा विधायी या कार्यकारी व्यवस्था का सार देने को कहा। पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की।

- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जानकारी मांगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्य बागची और वी.मोहना की पीठ ने झारखंड सरकार और राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा से भी केंद्र और अन्य पक्षों की याचिका पर जवाब मांगा।

मिश्रा को सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था। याचिका में उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई है।

'अगर रतन टाटा जीवित होते तो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संस में फैसले लेने के तरीके और होल्डिंग कंपनी के बोर्ड तथा उसके सबसे बड़े शेयरधारक ''टाटा ट्रस्ट'' के बीच संबंधों को लेकर चिंताएं खुलकर सामने आ गई हैं।

खंबाता की आलोचना केवल ट्रस्टी के रूप में दूसरा कार्यकाल नहीं लेने के फैसले तक सीमित नहीं है। रतन टाटा के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए और यह सवाल उठाते हुए कि क्या उनके रहते निदेशक मंडल इसी तरह काम करता, उन्होंने मौजूदा विवाद को टाटा समूह की संस्थागत विरासत और कंपनी के संचालन के सिद्धांतों के संदर्भ में पेश किया है।

17 सितंबर की बैठक में टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन को फिर से चेयरमैन नियुक्त किया और शेयर बाज़ार में लिस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का फैसला लिया। खबरों के अनुसार, नोएल टाटा ही एकमात्र डायरैक्टर थे, जिन्होंने इन फैसलों के खिलाफ मतदान किया। निदेशक मंडल में टाटा ट्रस्ट के एक अन्य नॉमिनी, वेणु श्रीनिवासन ने बहुमत के पक्ष में मतदान किया।

कंपनी को शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने को लेकर मतभेद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाटा संस पूरे टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होने से कंपनी के स्वामित्व और गवर्नेंस के तरीके में बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही कंपनी को शेयर बाजार की ओर से अधिक निगरानी और जांच का सामना करना पड़ेगा।

खंबाता द्वारा कथित तौर पर शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की योजना का विरोध किए जाने से टाटा ट्रस्ट्स के भीतर इस बात को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं कि मुख्य कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है।

हालांकि, केवल उनके इस पत्र से यह साबित नहीं होता कि 17 सितंबर को लिए गए फैसले कानूनी रूप से अमान्य थे या बोर्ड के इन फैसलों को पलट दिया जाएगा। लेकिन यह पत्र प्रभावशाली स्टॉक होल्डर्स के बीच मतभेदों की गहराई को जरूर उजागर करता है।

जेलों में जातिगत भेदभाव बेहद दुखद

नई दिल्ली, 03 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों के भीतर जातिगत भेदभाव और अमानवीय प्रथाओं से जुड़े एक संवेदनशील मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

कोर्ट ने कहा कि यह अत्यंत ''दुखद'' और दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी पर अभी तक 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

कोर्ट ने इसे प्रशासनिक संवेदनहीनता करार देते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की है।

'अनिश्चितकाल तक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जो भी व्यक्ति प्रदर्शन का आव्हान करता है, उसे अपने कदमों के परिणामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ''आप किसी स्थान पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते। दूसरे प्रदर्शनकारी भी हैं। किसान या वकील कहां जाएंगे? हर किसी को विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार है।'' मुख्य न्यायाधीश ने त्योहारों के मौसम में प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग करने वाले व्यापारी संगठनों की याचिका पर केन्द्र सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के लिए केवल एक दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया और यहां तक कि, संसद तक मार्च भी किया।

राहुल ने प्र.मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कीजिए मुकदमा। इस मुद्दे पर भी खुलकर चर्चा करेंगे। मोदी जी, आपको दिवाली की शुभकामनाएं। राहुल गांधी का अंदाज बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा हुआ है!

दिया मिर्ज़ा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभिनेत्री दीया मिर्जा ने दीवाली के दौरान कहीं भी और किसी भी समय पटाखे जलाकर ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नहीं फैलाने की सोशल मीडिया पर अपील की थी। भाजपा के कुछ नेताओं ने इस वीडियो की आलोचना की थी। इस मामले पर मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय ने भाजपा नेताओं का नाम लिए बिना कड़ी नाराजगी जताई। उच्च न्यायालय ने बीएमसी को निर्देश दिए कि दीया मिर्जा का वीडियो दोबारा अपलोड करें, क्योंकि यह देश धर्मनिरपेक्ष है।

आंतरिक खींचतान ले बैठेगी उमर की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कॉन्फ्रेंस के पास करीब 41-42 सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 है। सरकार को कांग्रेस के छह विधायकों, निर्दलियों और माकपा के एक विधायक का बाहरी समर्थन प्राप्त है। यदि 25 विधायक एकजुट होकर समर्थन वापस ले लेते हैं, तो सहयोगी दलों के समर्थन के बावजूद सरकार की संख्या बहुमत से काफी कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में विधानसभा त्रिशंकु हो सकती है और सरकार के सामने सदन में बहुमत साबित करने की चुनौती आ सकती है।

फिलहाल पार्टी नेतृत्व नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विधानसभा में संख्या बल का गणित बागी विधायकों की चेतावनी को गंभीर बनाता है। भाजपा की घटनाक्रम पर पूरी नज़र है, उसके पास 29 सीटें हैं, लेकिन अपने दम पर वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है।

कश्मीर की राजनीति में गठबंधन और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते रहे हैं। कागजों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन कायम है, लेकिन कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से बाहर रहने का फैसला किया है। उसकी प्राथमिकता राज्य का दर्जा बहाल कराने की मांग है। दोनों दलों के बीच पहले से मौजूद मतभेदों का असर भी बरकरार है।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अधूरे चुनावी वादों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना कर रही है और घाटी में खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश में है। वहीं, भाजपा जम्मू क्षेत्र में अपना आधार मजबूत करते हुए राजनीतिक संभावनाओं पर नज़र रखे हुए है।

कुल मिलाकर, मौजूदा घटनाक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने आंतरिक सत्ता-संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और वैचारिक प्रतिबद्धताओं के बीच तालमेल बैठाने की चुनौती है। उपराज्यपाल के साथ सत्ता के दो केन्द्रों वाली व्यवस्था में उमर अब्दुल्ला के लिए यह संकट और जटिल हो गया है।

नेपाल में दो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसन पटेल घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक, फिस्टेल हेलीकॉप्टर के पायलट भी मामूली रूप से घायल हुए हैं, हालांकि उनके नाम तत्काल की पुष्टि नहीं हो सकी है। डीएसपी बुद्ध थोकी ने बताया कि खुम्बु पासांगल्हामू स्थित फेरिचे में बने हेलीपैड पर आज सुबह लैंडिंग के दौरान दोनों हेलीकॉप्टरों के ब्लेड (पंखे) आपस में टकराने से यह दुर्घटना हुई।

ईडी ने अनिल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह ताजा कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल)/रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के मामलों में की गई है।

रिलायंस होम फाइनेंस/कमर्शियल फाइनेंस केस:इस बैंक फ्रॉड मामले में 263.05 करोड़ मूल्य की संपत्तियों की कुर्की की गई है। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरसीओएम) बैंक फ्रॉड केस:इस मामले में 247.12 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों को कुर्क किया गया है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों मामलों में कुर्क की गई संपत्तियों में चार्टर्ड विमानों से लेकर औद्योगिक और अचल परिसंपत्तियां शामिल हैं।

'क्रिमिनल रिट रजिस्ट्री बंद करने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत की एकलपीठ आपराधिक मामलों को सुन रही होती है तो उस अदालती आदेश के विरूद्ध हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष ''विशेष अपील'' दायर नहीं की जा सकती है। पाठकों को यह तथ्य बताना महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा ने 6 अगस्त 2026 को भी ''मेघराज सिंह बनाम राज्य सरकार, ईडी व खनन विभाग'' के आपराधिक प्रकरण में ''विशेष याचिका'' पर सुनवाई की थी। इस प्रकरण के दौरान भी अदालत ने दोहराया था कि, ''रिट'' केवल रिट होती है, इसमें ''क्रिमिनल'' और ''सिविल'' का कोई विभाजन नहीं है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में मेघराज सिंह, जो कि एक होटल व्यवसाय व बजरी कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण की जांच के संबंध में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राहत देने से इनकार कर दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए पूर्व न्यायाधीश एस.पी.शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित ने अंतरिम रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि मेघराज सिंह की ओर से 457 दिनों के बाद ''विशेष याचिका'' दायर की गई थी। जब इस आदेश के खिलाफ ई.डी. सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर दखल देने से इनकार कर दिया था कि अदालतें कई बार, याचिकाकर्ता को समय सीमा से बाहर जाकर दायर की गई अपील या आवेदनों में भी राहत देती है। जहां तक ''सिविल'' और ''क्रिमिनल'' मामलों का सवाल है, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के नियम हैं, जिनको लागू करने के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश फैसला ले सकता है।

हालांकि इसी मामले को जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखा था उसके कुछ समय के बाद ही मेघराज सिंह ने अपनी विशेष याचिका वापस ले ली थी।

हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के समक्ष ''क्रिमिनल रिट'' और ''सिविल रिट'' दर्ज करने को लेकर सुनवाई हुई, तब यह भी स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2017 में ही रामकिशन फौजी बनाम हरियाणा सरकार के मामले में ''क्रिमिनल'' और ''सिविल'' मामलों में फर्क के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, ''दीवानी मामलों'' (सिविल प्रकरणों) में एक व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर किसी अन्य व्यक्ति अथवा सरकार के समक्ष अपना प्रकरण रखता है। इन मामलों में पैसों के लेनदेन, रिकवरी, मुआवजा, नुकसान, संपत्ति अधिकार, टैक्स व राजस्व के मामलों में राहत व व्यक्तिगत अधिकारों की लड़ाई लडता है। वहीं दूसरी ओर अपराधिक मामलों में एक पक्षकार व्यक्ति होता है, जबकि दूसरी ओर सरकार ही होती है। ये मामले अंततोगत्वा संपत्ति जब्त करने, किसी को जेल भेजने व सजा देने से संबंधित होते हैं, ऐसे प्रकरण कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जरूरी होते हैं, इससे बड़ा जनहित जुड़ा होता है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिट याचिका इस संबंध में महत्वपूर्ण हो जाती है कि आवेदक अथवा याचिकाकर्ता किस संदर्भ में राहत मांग रहा है।

इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने और जस्टिस आनंद शर्मा द्वारा उठाए गए सवालों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा के निर्णय को गलत ठहराया और कहा कि रिट याचिकाओं में ''क्रिमिनल'' और ''सिविल'' की छंटनी बेहद महत्वपूर्ण है, यह तय करती है कि याचिकाकर्ता किस प्रकरण में क्या राहत मांग रहा है? ऐसी रिट याचिकाओं को उन्हीं जजों के समक्ष लगाया जाये, जो कि उस संदर्भ में तय किए गए रोस्टर से सुनवाई कर रहे हैं।

'प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में क्यों बिक रहे हैं पटाखें'

नई दिल्ली, 03 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के बाजारों में प्रतिबंधों के बावजूद अलग-अलग तरह के पटाखे बेचे जाने से जुड़ी एक अखबार की रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया और केन्द्र से कहा कि वह उसके आदेश का पालन सुनिश्चित करे।

जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी को एक अंग्रेजी अखबार की खबर में छपी तस्वीर को दिखाते हुए कहा कि कल के आदेश के बावजूद अब दुकानों में सब कुछ उपलब्ध है। कृपया इस पर ध्यान दें। 2 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगा प्रतिबंध दिवाली पर दो दिनों के लिए सशर्त हटाने आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के दौरान जलाए जा सकेंगे। इस साल दिवाली 8 नवंबर को है।

- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा।

'जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब हुए, वे भी फॉर्म-6 भर सकते हैं'

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया

नई दिल्ली, 03 नवंबर। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पैशल इंटैंसिव रिविज़न/एस.आई.आर.) को लेकर मतदाताओं के लिए बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने कहा है कि जिन लोगों का नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन एसआईआर के दौरान जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, वे भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि ऐसे मतदाताओं का फॉर्म-6 भरना गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। इसके लिए उनके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई भी नहीं होगी।

- चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेज कर कहा कि ऐसे मतदाताओं का फॉर्म-6 भरना गलत घोषणा नहीं माना जाएगा तथा उनके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं होगी।

हालांकि, इसके लिए शर्त है कि संबंधित मतदाता का नाम किसी दूसरे संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए और आवेदन में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए।

चुनाव आयोग का यह स्पष्टीकरण दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद आया है। मामला निलोतपल दत्ता और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ा है।

दरअसल, एस.आई.आर. के दौरान कई ऐसे मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से छूट गए थे, जो पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत थे। ऐसे लोगों को दोबारा फॉर्म-6 भरने के लिए कहा जा रहा था। इसी को लेकर सवाल उठे थे।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से सवाल किया था कि जब लोगों के नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज हैं, तो उन्हें नए मतदाता की तरह फॉर्म-6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुझाव दिया था कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि अधिकारी किन मतदाताओं से संपर्क नहीं कर पाए।

कोर्ट ने देर से जमा होने वाले पंजीकरण फॉर्म स्वीकार करने और दावे-आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने पर भी विचार करने को कहा था।

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस फैसले की जानकारी स्थानीय भाषाओं और उपलब्ध मीडिया माध्यमों से लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी मतदाता को आवेदन प्रक्रिया को लेकर परेशानी न हो।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908